न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 118/2025

अमित कुमार पुत्र श्री रामकुमार पुत्र दुलीचंद जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. रामकुमार पुत्र श्री दुलीचंद जाति जाट निवासी गांव मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री सुखविन्द्र सिंह अधिवक्ता	प्रार्थी
2.	श्री ब्रह्मदेव उपाध्याय	अप्रार्थी संख्या– 1

अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.10.2025

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के दादा दुलीचंद के नाम से संयुक्त खाता में चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अभि. नि. मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, के खाता संख्या 8/32 के मु0नं0 11, 25, 26 व 29 में कुल 5.3640 हैक0 में से 2353/5364 हिस्सा दर्ज कृषि भूमि है तथा इसी चक के अन्य संयुक्त खाता संख्या 56/41 में मुरब्बा नम्बर 26, 28 व 29 में कुल 6.3250 हैक कृषि भूमि में से 91/2530 हिस्सा कृषि भूमि है एवं इसके अलावा इसी चक के खाता संख्या 29/18 के मुरब्बा नम्बर 14 में 2.4800 हैक0 कृषि भूमि है एवं इसके अतिरिक्त चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अभि.नि. मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, के खाता संख्या 39/37 के मु0नं0 3 में कुल 0.8850 हैक0 कृषि भूमि है, जिसका कि प्रार्थी का दादा दुलीचंद मालिक काबिज है, जिसका कि इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के दादा दुलीचंद का दिनांक 12–01–2025 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी अपने दादा दुलीचंद के जीवनकाल से ही उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है और प्रार्थी श्री दुलीचंद का जायज वारिस होने के कारण उसका उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य वारिसानों द्वारा दुलीचंद की मृत्यु के पश्चात् विरास्तन इंतकाल हेतु आवेदन किया हुआ है, जो कि प्रक्रियाधीन है, जबकि प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व हिस्सा बनता है और अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त कृषि भूमि को रहन, बैय एवं मुंतकिल करने की फिराक में है। इस सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार निवेदन किया गया कि वह उक्त कृषि भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से का विभाजन करवाने का आवेदन कर लें, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 एलानिया कह रहा है कि जैसी ही उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज हो जाता है, वैसे ही वह उक्त कृषि भूमि को बिना प्रार्थी का हिस्से दिए अन्यत्र विक्रय कर देगा, जबकि प्रार्थी उक्त कृषि भूमि में से अपने 1/5/2 हक व हिस्से की कृषि भूमि प्राप्त करने का हकदार एवं अधिकारी है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने इस मकसद में कामयाब हो गये, तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसकी किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं जरूरी है ताकि अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि पर किसी प्रकार की अन्य किसी तरीके से हस्तांतरित करने से बाज व ममनू रहें एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य कई बार पंचायत हुई जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 हर बार टाल–मटोल करता रहा और अंतिम पंचायत दिनांक 29–06–2025 को प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रार्थी को उसका हक व हिस्सा देने से स्पष्ट इन्कार हो गया। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु विद्यमान है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद के लम्बनकाल तक प्रश्नगत कृषि भूमि (चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अभि. नि. मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, के खाता संख्या 8/32 के मु0नं0 11, 25, 26 व 29 में कुल 5.3640 हैक्0 में से 2353/5364 हिस्सा तथा इसी चक के अन्य संयुक्त खाता संख्या 56/41 में मुरब्बा नम्बर 26, 28 व 29 में कुल 6. 3250 हैक्0 कृषि भूमि में से 91/2530 हिस्सा एवं इसी चक के खाता संख्या 29/18 के मुरब्बा नम्बर 14 में 2.4800 हैक्0 एवं चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अभि. नि. मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, के खाता संख्या 39/37 के मु0नं0 3 में कुल 0.8850 हैक्0) में किसी प्रकार की मदाखत बेजा करने एवं विवादग्रस्त कृषि भूमि को अन्यंत्र रहन, बैय एवं अन्य तरीके से हस्तांतरित करने से बाज व ममनू रहें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मिथ्या व मनघडन्त तथ्यों पर व पक्षकारों का कुसंयोजन पर आधारित होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थी के पिता दुलीचन्द की मृत्यु की हद तक स्वीकार है परन्तु जन्म से अधिकार होने के सम्बन्ध में यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी व दुलीचन्द के अन्य वारिसान भी अभी सांझे खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा उन्हें भी उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में सक्षम पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज अप्रार्थी के जीवित रहते हुए प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं होता है इस प्रकार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू विधिक रूप से अधिकारी नहीं है । वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी द्वारा कभी भी उक्त भूमि को रहन, बैय करने की मंशा नहीं है उक्त कृषि भूमि उसके व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उसके परिवार की जीविका उपार्जन का एक मात्र साधन है बल्कि प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि का बेचान कर रूपयों की मांग की जा रही है इसी उद्देश्य की पूर्ति करने हेतू प्रार्थी द्वारा उक्त वाद लाकर दवाब बनाया जा सके और अपनी मंशा में कामयाब हो सके। अप्रार्थी द्वारा कभी भी उक्त कृषि भूमि का बेचान करने का नहीं कहा है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रार्थना–पत्र का आधार बनाने के लिए उक्त झूठे तथ्य प्रार्थना–पत्र में अंकित किए हैं। प्रार्थना–पत्र की मद सं. 6 अस्वीकार है इस सम्बन्ध में कभी कोई पंचायत नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। इस मद में प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, ना ही किसी भी प्रकार से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है केवल मात्र वाद पत्र एवं प्रार्थना–पत्र का आधार बनाने की गर्ज से झूठे व मनघडन्त तथ्य अंकित किए गए हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अ. धा. 212 राज0 काश्त 0 अधि०मय शपथ–पत्र प्रस्तत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर खर्चा मुकदमा अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी से दिलवाया जाने का आदेश प्रदान करें ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किए कि प्रार्थी के दादा दुलीचंद के नाम से संयुक्त खाता में चक 8 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अभि. नि. मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, के खाता संख्या 8/32 के मु0नं0 11, 25, 26 व 29 में कुल 5.3640 है0 में से 2353/5364 हिस्सा दर्ज कृषि भूमि है तथा इसी चक के अन्य संयुक्त खाता संख्या 56/41 में मुरब्बा नम्बर 26, 28 व 29 में कुल 6.3250 हैक कृषि भूमि में से 91/2530 हिस्सा कृषि भूमि है एवं इसके अलावा इसी चक के खाता संख्या 29/18 के मुरब्बा नम्बर 14 में 2.4800 है0 कृषि भूमि है एवं इसके अतिरिक्त चक 12 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला भू.अभि.नि. मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर, के खाता संख्या 39/37 के मु0नं0 3 में कुल 0.8850 है0 कृषि भूमि है, जिसका कि प्रार्थी का दादा दुलीचंद मालिक काबिज है, जिसका कि इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के दादा दुलीचंद का दिनांक 12–01–2025 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी अपने दादा दुलीचंद के जीवनकाल से ही उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है और प्रार्थी श्री दुलीचंद का जायज वारिस होने के कारण उसका उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य वारिसानों द्वारा दुलीचंद की मृत्यु के पश्चात् विरास्तन इंतकाल हेतु आवेदन किया हुआ है, जो कि प्रक्रियाधीन है, जबकि प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में जन्म से हक व हिस्सा बनता है और अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज कर उक्त कृषि भूमि को रहन, बैय एवं मुंतकिल करने की फिराक में है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि में से अपने 1/5/2 हक व हिस्से की कृषि भूमि प्राप्त करने का हकदार एवं अधिकारी है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने इस मकसद में कामयाब हो गये, तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसकी किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं जरूरी है। अतः निवेदन है कि प्रकरण में मूल वाद के निर्णय तक स्थगन कन्फर्म किया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में कथन किये गये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मिथ्या व मनघडन्त तथ्यों पर व पक्षकारों का कुसंयोजन पर आधारित होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। प्रतिवादी व दुलीचन्द के अन्य वारिसान भी अभी सांझे खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा उन्हें भी उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में सक्षम पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिज अप्रार्थी के जीवित रहते हुए प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का जन्म से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार प्राप्त नहीं होता है इस प्रकार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू विधिक रूप से अधिकारी नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में दुलीचन्द के शपथ पत्र की प्रति, बेदखली की सूचना की प्रति, आवास फांइनेंस लिमिटेड के नोटिस की सूचना की प्रति पेश की गयी।

—:: आदेश ::—

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं जमाबंदीयों का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए विधि द्वारा सुस्थापित निम्नांकित 3 बिन्दुओं (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति पर विचार किया गया।

प्रार्थी न तो रिकॉर्डेड खातेदार हैं और न ही प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवम् सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता। प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा के बिना प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. न्यायालय स्वीकार करना न्यायोचित नहीं पाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिंनाक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर